RAJASTHAN RMSC MEDICAL SERVICES CORPORATION
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलकमार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः0141–2228066, फैक्स नः0141–2228065 ई–मेल :mdrmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/319 दिनांक : 09/05/2024

आदेश

M/s Samkem, 15-B, A.K.V.N. Industrial Area, Rangwasa, Rao Indore-45331, M.P.से निविदा क्रमांक F.02(332) / RMSCL / PROCUREMENT / DRUG / NIB-22/2021/1380 दिनांक 04.08.2021 के तहत् औषधि Liquid Paraffin IP 100 ml[594] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक- 5955 दिनांक 27.01.2023 , 7135 दिनांक 16.03.2023, 477 दिनांक 25.04.2023 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को Testing हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जाँच किये जाने पर औषधि के बैच (R23L003, R23L023, R23L019, R23L038, R23L028, R23L034, R23L039) को Viscosity test में फेल होने के कारण अमानक कोटि का पाया गया। इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से उक्त बैचेज की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 04.04.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने औषधि के उक्त बैचेज को अमानक कोटि का घ ोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के तहत Not of Standard Quality(Minor Defects) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.5(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Samkem, 15-B, A.K.V.N. Industrial Area, Rangwasa, Rao Indore-45331, M.P. की औषधि Liquid Paraffin IP 100 ml [594] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट (Blacklist) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

नेहागिरि
आई.ए.एस
प्रबन्धनिदेशक

RajKaj Ref
7019604

Signature valid
Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.05.08 20:51:18 IST
Reason: Approved

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/319 दिनांक : 09/05/2024

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषितहै :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू.चिकित्सा एवंस्वा.निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नईदिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/FDA, मध्यप्रदेश।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिलाऔषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s Samkem, 15-B, A.K.V.N. Industrial Area, Rangwasa, Rao Indore-45331, M.P.
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्धनिदेशक

RajKaj Ref
7019604

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation : Managing Director
Date: 2024.05.08 20:51:18 IST
Reason: Approved